राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः एफ.21(2)/सान्याअवि/कम्प्यू./प्रशि./ 23691 जयपुर दिनांक 16/4/10

1. उप निदेशक/सहायक निदेशक/
   जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/
   .... (मय सम्बन्धित जिले में स्थापित आर.के.सी.एल. केन्द्रों की सूची के)
2. प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक, समस्त संस्थाएँ, एसजेई
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, मुख्यालय
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जिला कार्यालय (सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से)
5. समस्त परियोजना निदेशक/कर्मचारी, एससीडीसी निगम
6. परियोजना निदेशक एवं समस्त कर्मचारी ओबीसी निगम/अल्पसंख्यक निगम

विषय : राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के आरएससीआईटी कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में ।

प्रसंग : विभाग के पूर्व पत्रांक एफ.21(2)/सान्याअवि/कम्प्यू./प्रशि./30516–23 जयपुर दिनांक 16.6.2009

वर्तमान परिपेक्ष्य में कम्प्यूटर कार्यालय का एक अत्यावश्यक अंग बन चुका है और इसके ज्ञान के अभाव में दिन–प्रतिदिन के राजकार्य के निष्पादन में कठिनाई होना पाया जाता है। उपरोक्त तथ्य को मद्देनजर रखते हुए विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर की जानकारी होने की आवश्यकता महसूस की गई।

उक्त प्रयोजनार्थ विभाग में पदस्थापित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (सहायक कर्मचारी के अलावा)/छात्रावास अधीक्षकों को कम्प्यूटर के प्रचालन के सामान्य ज्ञान की जानकारी आवश्यक रुप से हो ताकि विभाग की समस्त योजनाओं के ऑन–लाईन सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के साथ–साथ, दिन–प्रतिदिन के अन्य कार्य कम्प्यूटर पर किये जाने एवं ई–मेल के संप्रेषण आदि में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पडे । इससे राजकीय हित में न केवल कार्यक्षमता में प्रभावी रुप से वृद्धि होगी बल्कि राजकीय संसाधनों का समुचित उपयोग होना भी संभव हो सकेगा ताकि समय एवं धन के व्यय में मितव्ययता की जा सके।

सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक स.एफ. 07(103)/डीओआईटी/डिपार्ट./एमएल–64 दिनांक 2.4.09 की फोटो प्रति संलग्नानुसार भेजकर लेख है कि विभाग में पदस्थापित समस्त अधिकारी/कर्मचारी (सहायक कर्मचारी के अलावा) /छात्रावास अधीक्षक को तीन माह के कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के 1151 अधिकृत केन्द्र, जो कि सम्पूर्ण राजस्थान में कार्यरत है से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.rkcl.in पर भी उपलब्ध है। प्रशिक्षण हेतु जिलेवार केन्द्रों की सूची संलग्न हैं। उक्त सूची में से अपने निकटतम केन्द्र के प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता हैं तथा कोर्स एवं प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

E:\off_apr08.doc

1427 21/4/10 Imp/urgent CEM C → SC file Naresh (to upload on website)

उल्लेखनीय है कि उक्त कोर्स की फीस 2300/– रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी है, जो प्रशिक्षणार्थी को स्वयं जमा करानी होगी। उक्त कोर्स में उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थी को यह राशि राज्य सरकार द्वारा पुर्नभरण कर दी जावेगी साथ ही यदि प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किये जाने पर 575/–रु. प्रोत्साहन राशि के रुप में अतिरिक्त रुप से (फीस के अलावा) प्रदान किये जायेगे।

आरकेसीएल के अधिकृत केन्द्रों पर प्रशिक्षण माह अप्रेल 2010 में प्रारम्भ हो रहे बैच में जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने वर्ष 2009–10 में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण नहीं लिया हो, आवश्यक रुप से प्रवेश लेकर प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करें। माह अप्रेल 2010 से प्रारम्भ हो रहे बैच में प्रवेश की अन्तिम तिथि 25 अप्रेल 2010 है। उक्त प्रयोजनार्थ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/जिला अधिकारी/संस्था प्रभारी इसके समन्वयक होंगे एवं की गई कार्यवाही से मुख्यालय स्थित पदस्थापित एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (नोड़ल अधिकारी) को सूचित करेंगे।

इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों की पालना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों/छात्रावास अधीक्षकों की सूची मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर प्रशाखा को प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।

16/04/10

आयुक्त एवं शासन सचिव

कमांकः एफ.21(2)/सान्याअवि/कम्प्यू./प्रशि./ 23692–99 जयपुर दिनांक 16/4/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
4 निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6 उप निदेशक (प्रशासन), मुख्यावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के मॉनिटरिंग एवं निर्देशन हेतु
7 श्री जी.के.गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग), राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, झालाना संस्थानिक एरिया, जयपुर।

एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर

E:\off_apr08.doc

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

कमांकः एफ.21(2)/सान्याअवि/कम्प्यू./प्रशि./ 23651 जयपुर दिनांक 16/4/10

समस्त छात्रावास अधीक्षक
(सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से)

विषय : <u>राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के माध्यम से कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में</u> ।

प्रसंग : विभाग के पूर्व पत्रांक एफ.21(2)/सान्याअवि/कम्प्यू./प्रशि./30516-23 जयपुर दिनांक 16.6.2009

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में से निम्नानुसार कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य सामग्री कार्यालय उपयोग के साथ छात्रावासों में रह रहे बालक/बालिकाओं को कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु स्थापित किये जा चुके हैं।

क. स.	वर्ष	छात्रावास का विवरण	कुल छात्रावासों की संख्या	स्थापित किये गये कम्प्यूटरों की संख्या	कुल स्थापित किये गये कम्प्यूटरों की संख्या
1	2008-09	राजकीय आर्दश छात्रावास	22	5	110
2	2008-09	अन्य राजकीय छात्रावास	134	1	134
3	2009-10	राजकीय आर्दश छात्रावास	22	5	110
4	2009-10	अन्य राजकीय छात्रावास	134	1	134
		योग	312		488

उपरोक्तानुसार वर्ष 2009-10 तक 312 छात्रावासों में कुल 488 कम्प्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 में 156 छात्रावासों में 244 कम्प्यूटर स्थापित करने की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2010-11 में की जा रही हैं।

उक्त कम्प्यूटरों के प्रभावी संचालन एवं प्रशिक्षण कार्य के प्रयोजनार्थ विभाग में पदस्थापित समस्त छात्रावास अधीक्षकों को प्रासंगिक पत्रांक (फोटो प्रति पुनः संलग्न है) द्वारा राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. द्वारा संचालित RS-CIT कोर्स में नामांकित करवाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त की पालना में ऐसे छात्रावास अधीक्षकों जिन्होनें उक्त कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें एक और अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि आरकेसीएल द्वारा माह अप्रेल 2010 से प्रारम्भ हो रहे बैच में प्रवेश हेतु नामांकित करना सुनिश्चित कर प्रशिक्षण प्राप्त करें <u>(अपने कार्यक्षेत्र की परिधी में स्थित अधिकृत केन्द्र पर ही)। माह अप्रेल 2010 से प्रारम्भ हो रहे बैच में प्रवेश की अन्तिम तिथि 26 अप्रेल 2010 हैं</u>।

E:\off_apr08.doc

प्रशिक्षण में नामांकित नहीं करवाने की स्थिति में संबंधित छात्रावास अधीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के 1151 अधिकृत केन्द्र, जो कि सम्पूर्ण राजस्थान में कार्यरत है से प्राप्त कर सकते हैं (जिलेवार सूची संलग्न हैं) । उक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.rkcl.in पर भी उपलब्ध है। उक्त सूची में से अपने निकटतम केन्द्र के प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता हैं तथा कोर्स एवं प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कोर्स की फीस 2300/– रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी है, जो प्रशिक्षणार्थी को स्वयं जमा कराना होगा। उक्त कोर्स में उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थी को यह राशि राज्य सरकार द्वारा पुर्नभरण कर दी जावेगी साथ ही यदि प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किये जाने पर 575/–रु. प्रोत्साहन राशि के रुप में अतिरिक्त रुप से (फीस के अलावा) प्रदान किये जायेगें।

आयुक्त एवं शासन सचिव

कमांकः एफ.21(2)/सान्याअवि/कम्प्यू./प्रशि./ 23652-90 जयपुर दिनांक 16/4/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6. उप निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त छात्रावास अधीक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित मॉनिटरिंग एवं निर्देशन हेतु तथा आवश्यक रुप से प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करने के संबंध में।
7. उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी .... को भेजकर लेख हैं कि अपने अधीनस्थ समस्त छात्रावास अधीक्षकों को प्रशिक्षण में नामांकित करने हेतु पाबन्द करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिन छात्रावास अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र की परिधी में अधिकृत केन्द्र नहीं हैं, की सूची जरीये ईमेल एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर को प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।
8. श्री जी.के.गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग), राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, झालाना संस्थानिक एरिया, जयपुर।

एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर

E:\off_apr08.doc